



# कार्यालय : रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

पत्रांक : 1774 / आर०डी०ए० / 2016-2017

दिनांक 23-05-2016

सेवा में,

श्री मोहम्मद फुरकान पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी मौ० चिरान, तोपखाना रोड, तहसील सदर, जिला रामपुर।

आपके पत्र दिनांक 02.05.2016 मानचित्र सं० 1638 / आर०डी०ए० / 2016-2017 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट मानचित्र गाटा सं०-598 में भवन निर्माण मोहल्ला ग्राम सैजनी नानकार, तहसील सदर, जिला रामपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक 19.05.2016 से केवल 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.05.2021 तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में कोई सुधार व्यय मांगा जाता है। तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जा सके।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन का निर्माण समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपैन्सी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे व खिड़कियां इस प्रकार लगायें कि जब खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 05 फुट के अन्दर कोई निर्माण न किया जाये।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध करना होगा।
14. यह मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनायें जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरवीजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 03.05.2016 एवं रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके भूखण्ड सं० 08 एवं 09 में बंधक के रूप में रखी गई है। आन्तरिक विकास कार्य हो जाने के फलस्वरूप ही बंधक किये गये भूखण्ड सं०- 8, 9 को बंधक मुक्त किया जायेगा।
18. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
19. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. अस्पताल, नर्सिंग होम, हॉटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थायें प्रशिक्षण केन्द्र, बैंकट हाल, बारात घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
21. मानचित्र स्वीकृति का भू-स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
22. यदि भविष्य में बड़ा विकास शुल्क व अन्य कोई शुल्क प्राधिकरण द्वारा मांगा जाता है तो वह प्राधिकरण कोष में बिना शर्त जमा कराना होगा।
23. स्वीकृत तलपट मानचित्र का उपयोग आवासीय रूप में ही किया जायेगा।
24. प्रत्येक भूखण्ड का निर्माण किये जाने से पूर्व अलग से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
25. प्लॉटों का विक्रय सबडिविजन प्लान के अनुसार ही किया जायेगा।
26. आवेदक को बिजली की आपूर्ति हेतु प्रशंगत स्थल के लिये ट्रान्सफार्मर की स्वीकृति, लोड इत्यादि हेतु विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त एवं आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही भूखण्ड विक्रय किये जा सकेंगे।
27. आवेदक को प्रशंगत स्थल में भूतल लेविल अधिक नीचाई पर होने के कारण कुसी का लेविल पूर्व निर्मित से पुलिसिया से ऊंचा रखना होगा, जिसमें बरसात में जलभराव की स्थिति न होने पाये।
28. प्रशंगत स्थल की संलग्न भूमि का आवेदक द्वारा पुनः सबडिविजन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने पर इस स्वीकृत सबडिविजन भूमि को भी प्रस्तावित भूमि के साथ समायोजित किया जायेगा। तदनुसार लागू शर्तों के अधीन लेआउट प्लान/सबडिविजन प्लान स्वीकृत किया जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति। कार्य आरम्भ करने की सूचना देने का प्रपत्र।



सचिव  
23/5/2016

रामपुर विकास प्राधिकरण  
रामपुर



सेवा में,

श्री शरीफ अहमद पुत्र स्व० श्री हबीब अहमद निवासी मौ० बिरान, तोपखाना रोड, तहसील सदर, जिला रामपुर।  
आपके पत्र दिनांक 25.05.2016 मानचित्र सं० 1652/आर०डी०ए०/2016-2017 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट मानचित्र गाटा सं०-598 एवं 603 में भवन निर्माण मोहल्ला ग्राम सैजनी नानकार, तहसील सदर, जिला रामपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक 03.06.2016 से केवल 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 02.06.2021 तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में कोई सुधार व्यय मांगा जाता है। तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जा सके।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यवरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 100 पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन का निर्माण समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे व खिड़कियाँ इस प्रकार लगायें कि जब खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 05 फुट के अन्दर कोई निर्माण न किया जाये।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
14. यह मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनायें जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरवीजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 31.05.2016 एवं रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके भूखण्ड सं० 08 एवं 09 में बंधक के रूप में रखी गई हैं। आन्तरिक विकास कार्य हो जाने के फलस्वरूप ही बंधक किये गये भूखण्ड सं०- 8, 9 को बंधक मुक्त किया जायेगा।
18. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
19. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकंपरोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थायें प्रशिक्षण केन्द्र, बैंकट हाल, बारात घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
21. मानचित्र स्वीकृति का भू-स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
22. यदि भविष्य में बढ़ा विकास शुल्क व अन्य कोई शुल्क प्राधिकरण द्वारा मांगा जाता है तो वह प्राधिकरण कोष में बिना शर्त जमा कराना होगा।
23. स्वीकृत तलपट मानचित्र का उपयोग आवासीय रूप में ही किया जायेगा।
24. प्रत्येक भूखण्ड का निर्माण किये जाने से पूर्व अलग से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
25. प्लाटों का विक्रय सबडिविजन प्लान के अनुसार ही किया जायेगा।
26. आवेदक को बिजली की आपूर्ति हेतु प्रश्नगत स्थल के लिये ट्रान्सफार्मर की स्वीकृति, लोड इत्यादि हेतु विद्युत विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त एवं आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही भूखण्ड विक्रय किये जा सकेंगे।
27. आवेदक को प्रश्नगत स्थल में मूल लेविल अधिक नीचाई पर होने के कारण कुर्सी का लेविल पूर्व निर्मित से पुलिया से ऊँचा रखना होगा, जिसमें बरसात में जलभराव की स्थिति न होने पाये।
28. प्रश्नगत स्थल की संलग्न भूमि का आवेदक द्वारा पुनः सबडिविजन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने पर इस स्वीकृत सबडिविजन भूमि को भी प्रस्तावित भूमि के साथ समायोजित किया जायेगा। तदनुसार लागू शर्तों के अधीन लेआउट प्लान/ सबडिविजन प्लान स्वीकृत किया जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति, कार्य आरम्भ करने की सूचना देने का प्रपत्र।



सावित्र

रामपुर विकास प्राधिकरण  
रामपुर